न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	39/2023	12.09.2023	7/25 (2025/07)	15.01.2025	22.12.2025	1 लगायत 2

1. रामस्वरूप उर्फ पप्पू पुत्र मोतीलाल गोदपुत्र रणजीता जाति मीना निवासी राजकीय महाविघालय के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर। –अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–
अपीलार्थी की और से :– विद्वान अभिभाषक श्री तरूण शर्मा ।
रेस्पोडेन्ट की और से :– पेरोकार सरकार

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 02/2021 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम उदेई कलां स के आराजी ख0नं0 6643/6381 कुल रकबा 0.42 है0 में से 0.04 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मिसल के तथ्यों व विधि के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त अविधित कार्यवाही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनायी गयी , द्वेषतापूर्ण एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार मानकर की गयी है जो निरस्तनीय है। एक पक्षीय रिपोर्ट में ना तो मौके पर कोई नाप की गयी है ना ही कोई मुस्तकील बिन्दू कायम किया गया है तथा अपीलान्ट के विरोधी पक्षकारों से मिलकर उक्त फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई है। विवादित भूमि ख0नं0 6643/6381 रकबा 0.42 है0 ग्राम उदेईकलां 'स' पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट द्वारा वर्षो पूर्व अपनी भूमि की हदबन्धी कर दीवार की हुई है। जिसमें पानी का कुण्ड बनाया हुआ है जो कि वर्षो से उसी अवस्था में है। अपीलान्ट स्वयं की भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट का राजकीय भूमि पर कोई कब्जा नहीं है ना ही अपीलान्ट राजकीय भूमि पर कब्जा करने की मंशा रखता है। वादग्रस्त भूमि से सटवा अपीलान्ट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:42:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 7/2025 रामस्वरूप उर्फ पप्पू बनाम सरकार ।

खातेदारी भूमि 5667, 5668 ग्राम उदेईकलां 'स' तहसील गांगपुर सिटी जिस पर ही अपीलान्ट काबिज है। उक्त विवादित भूमि पर कई वर्षो से दीगर व्यक्ति का कब्जा है तथा दो मंजीले मकान बने हुए हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा अन्य किसी अतिक्रमी पर कार्यवाही न कर विरोधी व्यक्तियों से कहने पर अपीलार्थी के ही विरूद्ध कार्यवाही की गई है साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को राजकीय भूमि से बेदखल करने का ही आदेश पारित किया, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार गंगापुर सिटी विवादित भूमि तथा विवादित भूमि से लगवा अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खं0नं0 5667, 5668 का सीमाज्ञान करें तथा सीमाज्ञान के पश्चात् भी चरागाह भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा पाया जाता है तो अपीलार्थी को नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करे तथा विवादित भूमि ख0नं0 ख0नं0 6643/6381 कुल रकबा 0.42 है0 पर किये गये अतिक्रमियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी स्वतंत्र है। उक्त प्रकरण में तत्समय पदस्थापित पटवारी हल्का उदेई कलां "स "द्वारा पी– 14 रिपोर्ट प्रस्तुत नही किये जाने के कारण संबंधित हाल पटवारी हल्का के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के तहत ज्ञापन/आरोप पत्र तैयार कर 7 दिवस में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी में प्रेषित करने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को पृथक से निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न कर तहरीर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:42:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी